न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 100/2010 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2010/00045

उनवान

भोजराज पुत्र पदमी, जाति जाटव निवासी उच्चैन सब तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
.....अपीलाण्ट

बनाम

1. मौहर सिंह पुत्र सूसरिया
2. विभूतिराम } पुत्र नत्थी
3. हरचरन
4. जसवंत सिंह

} जाति जाटव नि0 उच्चैन, सब त0 उच्चैन जिला भरतपुर।

..... असल रैस्पोडेण्ट

5. सुन्दरलाल पुत्र गंगाधर
6. बनै सिंह } पुत्रान हरेती
7. विशन सिंह
8. तेज सिंह (मृतक)
   - 8/1 केशन्ती पत्नी
   - 8/2. दिनेश
   - 8/3. गणपत } पुत्र } स्व0तेज सिंह
   - 8/4. संजय
9. करन सिंह } पुत्र हरेती
10. बदन सिंह

} जाति जाटव निवासी उच्चैन, सब तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रैस्पोडेण्ट

11. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, भरतपुर।

..... फोरमल रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 08.01.2010 प्रकरण संख्या 67/2008 उनवान भोजराज बनाम मौहर सिंह, न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन।

अभिभाषकगण :–
1. श्री दुलीचन्द शर्मा अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री विजय सिंह कुंतल अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

दिनांक :–04.04.2022

निर्णय

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय दिनांक 08.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88–89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/असल रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल रकवा 24–07 बीघा, वादी/अपीलाण्ट को अपने पूर्वज पदमी से मिली हुयी सम्पत्ति है। उक्त आराजी में पदमी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3/5 भाग का, 1/5 भाग का हरेती व 1/5 भाग का हिस्सेदार गंगाधर था। इसी अनुसार तीनों भाईयो ने मनवट बंटवारा कर लिया। सूसरिया व नत्थी उक्त आराजी में ना तो कभी हिस्सेदार थे और ना ही कभी काश्त की, विवादित आराजी में पदमी के हिस्से पर वादी स्वयं, हरेती व गंगाधर के वारिस काश्त कर रहे हैं। परन्तु सहवन से पदमी का 2/5 हिस्सा नत्थी व सूसरिया के नाम राजस्व अभिलेख में चढ गया। जिसकी वादी के पिता पदमी को कोई जानकारी नहीं थी। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रतिवादी/असल रैस्पो० के मन में बदयानती आ गयी एवं वह लटठ के बल पर उक्त आराजी को वादी/अपीलाण्ट से हडपना चाहते हैं। अतः वह अपनी उपरोक्त मंशा में कामयाव हो गये तो वादी/अपीलाण्ट को अपरमित क्षति होगी। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री प्रतिवादी/असल रैस्पो० के विवादित आराजी से नाम कलमजद कर वादी/अपीलाण्ट के नाम खातेदारी अंकन करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2010 से मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, वहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/रैस्पो० संख्या 02 व 04 के हक में किये गये निर्णय एवं बाकी हिस्से पर स्टाम्प डयूटी का आदेश देने तक विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी में प्रतिवादी रैस्पो० संख्या 02 लगायत 04 सगे भाई है तथा प्रतिवादी/रैस्पो० संख्या 03, एक सगा भाई उक्त 1/5 हिस्से की भूमि को वादी का हिस्सा मानता है तो बाकी हिस्सा प्रतिवादी/रैस्पो० संख्या 02 लगायत 04 का नहीं माना जा सकता है। उनके एक हिस्सेदार की अपने हिस्से सहित सम्पूर्ण 1/5 हिस्से को वादी की खातेदारी को साबित करता है। अतः माननीय अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना कि प्रतिवादी/रैस्पो० संख्या 02 व 04 के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादी/रैस्पो० संख्या 02 व 04 के विरूद्ध दावा डिक्री करना चाहिये था इसके अलावा ऐसा कोई साक्ष्य रिकार्ड पर नहीं है कि अन्य हिस्सेदारो की तरह वादी को भी अन्य भूमि प्राप्त हुयी हो। विवादित आराजीयात बाबत् सगे भाईयो के परिवारो के मध्य है जो उनकी एक ही पूर्वज की भूमि होने के कारण पैतृक सम्पत्ति है केवल मात्र आपसी विभाजन एवं गलत इंद्राजो का विवाद है जो किसी भी प्रकार से हस्तांतरण की तारीफ में नही आता है केस को पहले कन्टेस्ट करना व बाद में पक्षकारो में राजीनामा करना भी हस्तांतरण की तारीफ में नहीं आता है। राजीनामा एक एडजस्टमेण्ट आफ दी सूट होता है। जिसके आधार पर न्यायालय को राजीनामा के आधार पर दावे का निस्तारण करना चाहिये। उसमें स्टाम्प ड्यूटी लगाया जाना अवैधानिक है व ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का स्टाम्प ड्यूटी लगाने का आदेश कतई अवैधानिक है। यह है कि यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि प्रतिवादी/रैस्पो० संख्या 01 व 03 द्वारा वादी का 3/5 हिस्से पर कब्जा काश्त माना है व उसके हिस्से की भूमि स्वीकार की है तो सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय को सम्पूर्ण दावा डिक्री करने के अलावा कोई विकल्प नहीं

भू. प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

था। राजीनामा के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 03 ने अधीनस्थ न्यायालय में बयान भी दिया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने 2/15 हिस्से तक दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये, अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। वादीगण/अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में अपने दावे को पूर्ण रूप से सिद्ध करने में सफल नहीं हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर एवं प्रत्येक तनकी को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की कारण सहित विस्तार से विवेचना की जाकर, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। किसी के कहने, राजीनामा, बयान से रैस्पो0 के अधिकार खत्म नहीं होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 ने जवाब दावा दिया है। वादी/अपीलांट ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया जिसमें पूर्वज हंसा या सूसरिया, नत्थी, हरेती, पदमी, गंगाधर के नाम शामलाती तौर पर समस्त आराजीयात का खाता हो। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर सीटी 2006(II) पेज 221, आरआरटी 2003(II) पेज 1090 का उद्धरण पेश किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु तीन तनकियॉ निर्धारित की गयी हैं एवं प्रत्येक तनकी पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर, अपीलाधीन आदेश पारित किया है। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट की आपत्ति रही है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02 व 04 के हक में किये गये निर्णय एवं बाकी हिस्से पर स्टाम्प डयूटी का आदेश विधि विरूद्ध है। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें विवादित आराजी पूर्व राजस्व रिकार्ड में उनके पूर्वज हंससा या सूसरिया, नत्थी, हरेती, पदमी, गंगाधर के नाम शामलाती तौर पर दर्ज रही हो एवं जिसमें विवादित आराजी खसरा नम्बर व ग्राम जुगलापट्टी व बारहपट्टी की क्रमश 16.09 बीघा, 13 बीघा व 8 बीघा के खसरा नम्बर शामिल हो, ताकि इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके कि कुल पैतृक आराजी कितने बीघा थी व उसमें से उभयपक्ष को अपने–अपने हिस्से के अनुसार ही रकबा बॅटवारे में प्राप्त हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलाण्ट का दावा मात्र मौखिक कथन एवं प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 व 03 द्वारा वादी/अपीलाण्ट के पक्ष में प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर आंशिक स्वीकार किया है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौखिक कथन एवं बिना दस्तावेजी साक्ष्य प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02 व 04 को विवादित आराजी में उनके हिस्से की खातेदारी से वंचित करना न्यायोचित नहीं होना एंव राजीनामा के आधार पर वादी/अपीलाण्ट को प्राप्त आराजी पर स्टाम्प ड्यूटी लगाया जाना उचित ही है। लिहाजा हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं, अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2010 यथावत रखें जाते हैं।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04.04.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर